लैंड पूलिंग पॉलिसी अब सिर्फ 45 दिन दूर

अप्रैल में मंत्रालय से जारी हो जाएगी अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 मार्च (निशांत राघव): डीडीए के विभिन्न प्रोजेक्ट में पेश आ रही तमाम समस्याओं का निदान लैंड पूलिंग पॉलिसी में लोगों को मिल सकेगा। न केवल नीति के अंतर्गत ग्राउंड कवरेज के आधार पर 400 एफएआर (फ्लोर एरिया रेशियो) तक निर्माण की सुविधा मिलेगी, बल्कि किफायती मकानों का साइज भी 40 वर्ग मीटर तक होगा। न्यूनतम भूमि संग्रह को लेकर आ रही दिक्कत को भी अब दूर किया जा रहा है। बताया जाता है कि नीति के अंतर्गत अब तक जरूरी दो हेक्टेयर की न्यूनतम भूमि की सीमा को भी हटाया जा रहा है। ताकि अधिक से अधिक लोग इस नीति का लाभ ले सकें। फिलहाल दिल्ली में आशियाने की तलाश में परेशान लोगों को बस कुछ दिन और इंतजार करना होगा। क्योंकि अप्रैल के आखिर तक इस नीति पर अधिसूचना जारी हो जाएगी।

दरअसल डीडीए की ओर से पिछले दिनों इस संबंध में लोगों से नए सिरे से सुझाव भी मांगे गए थे। यह प्रक्रिया अपने अंतिम चरण में है। डीडीए के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार लैंड पूलिंग पॉलिसी में निर्माण के लिए पहले से लागू 150 एफएआर के स्थान पर 400 एफएआर तक मिलेगा। अधिकारी के मुताबिक, इसमें किफायती मकानों के साइज को 32-40 वर्ग मीटर कम से कम रखना अनिवार्य होगा। डीडीए सूत्रों की मानें तो पॉलिसी को लेकर लोगों से मिले सुझाव के आधार पर अब न्यूनतम दो हेक्टेयर भूमि की सीमा को भी हटाकर एक हेक्टेयर तक किया जा सकता है।

एफएआर भी मिलेगा 400

डीडीए वीसी उदय प्रताप सिंह के मुताबिक लैंड पूलिंग पॉलिसी को लेकर लोगों से सुझाव मांगे गए थे। नीति को लागू करने की पूरी प्रक्रिया लगभग अंतिम चरण में है। शीघ्र ही लोगों से मिले सुझाव के आधार पर तैयार प्रस्ताव को डीडीए बोर्ड में रखा जाएगा। प्रस्ताव पर मुहर लगने के बाद उसे अगले माह अप्रैल में केंद्रीय मंत्रालय को भेज दिया जाएगा। मंत्रालय इस पर अधिसूचना जारी करेगा। वीसी के मुताबिक अप्रैल के अंत तक इस नीति पर अंतिम मुहर लग जाएगी। जिसके बाद नीति के तहत विभिन्न इलाकों में कार्य भी आरंभ हो सकेगा। गौरतलब है कि 89 गांवों को शहरीकृत गांव (अर्बन रूरल विलेज) का दर्जा न मिल पाने के कारण लैंड पूलिंग पॉलिसी अब तक लागू नहीं हो सकी थी। लेकिन पिछले दिनों एलजी ने दिल्ली सरकार की लचर व्यवस्था को देखते हुए स्वयं ही इस कार्य को अंजाम दे दिया था।

नीति लागू होने पर यह होगा लाभ

- लैंड पूलिंग नीति में किफायती मकान होंगे 40 वर्ग मीटर तक
- किफायती मकान तैयार करने वाले डेवलपरों को पंद्रह प्रतिशत अतिरिक्त एफएआर
- 150 नहीं 400 एफएआर मिलेगा निर्माण के लिए
- लगभग 95 लाख लोगों को आवासीय व अन्य रोजगार संबंधी लाभ की उम्मीद
- ऑनलाइन देनी होगी अर्जी विकासकर्ता संस्थाओं को, सिंगल विंडो प्रक्रिया होगी
- लैंड पूलिंग नीति के जरिये करीब 22 हजार हेक्टेयर भूमि मिलने की संभावना